प्राक्कथन

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में विकासकों को अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपीज़) सौंपने में प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता पर बल सहित "विशेष प्रयोजन इकाईयों के अन्तर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं" की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने विशेष प्रयोजन इकाई मार्ग निर्धारित किया तथा पॉवर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), एमओपी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक वित्तीय संस्था, को परियोजना विकासक की पहचान करने के लिए प्राथमिक क्रियाकलाप करने तथा बोली प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। प्रथम लेखापरीक्षा जनवरी 2009 से सितम्बर 2009 के दौरान की गई थी तथा विद्युत मंत्रालय तथा पॉवर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण मुद्दे प्रबंधन तथा विद्युत मंत्रालय को भेजे गए थे। चूंकि यूएमपीपीज़ से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिकृत मंत्री-समूह (ईजीओएम) का गठन किया गया था, अतः एमओपी/पीएफसी की पुनः लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें चार प्रदान किए गए यूएमपीपीज़ से संबंधित मुद्दों पर प्रबंधन/एमओपी (ईजीओएम सहित) द्वारा की गई कार्रवाई की अगस्त-सितम्बर 2011 में जांच की गई थी। ड्राफ्ट प्रतिवेदन विद्युत मंत्रालय को अक्तूबर-नवम्बर 2011 में जारी किया गया था। इस प्रतिवेदन को दिसम्बर 2011, जनवरी 2012 तथा मार्च 2012 में प्राप्त मंत्रालय के उत्तर तथा फरवरी और मार्च 2012 में आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर पॉवर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सहयोग का आभारी है।